

संख्या क. 11019/71/87-प्रशासनिक

भारत सरकार

कार्मिक, लौक शिक्षायत तथा पैदान मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक । १ अगस्त, 1987

कायांल्य ज्ञापन

विषयः— कैन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारण मामलों के निपटान के लिए अधिकरण की एकल सदस्यीय न्यायपीठ का गठन।

जैसा कि कैन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभागों को विद्वित ही है कि कैन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा से संबंधित मामलों में उनकी शिक्षायतों को दूर करने की दृष्टि से तथा उन्हें सही तथा शीघ्र राहत प्रदान करने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कैन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवा से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए दिनांक ।-।।-85 से कैन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया गया था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कैन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष ने, एकल सदस्यीय न्यायपीठ का गठन किया है जो कि मामलों के संबंध में अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों तथा प्राधिकार के प्रयोग के लिए सक्षम है। कैन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए दिनांक 26 जून, 1987 के आदेश संख्या ।/32/87-जै0ए0/5302 की एक प्रति सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए संलग्न है।

2. यह अनुरोध है कि दिनांक 26-6-87 के उपर उल्लिखित आदेश की विषय-वस्तु को परिचालित किया जाए तथा सभी संबंधित अधिकारियों की जानकारी में लायोजाए।

अनुलग्नकः ऊपर दिए गए  
अनुसार

सेवा में,

श्रीमती कृष्णा सिंह  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संघ राज्य क्षेत्र।
- प्रति, कैन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, फरीदकोट हाउस, नई दिल्ली की प्रधान न्यायपीठ के उपाध्यक्ष को।
- 100 अतिरिक्त प्रतिया।

श्रीमती कृष्णा सिंह  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार